

-:कार्यालय ज्ञाप:-

वाणिज्य कर विभाग में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3473 दिनांक 09-11-2015 के माध्यम से जारी लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची में निम्नलिखित कार्मिकों का अंकित विवरण संशोधित किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये अपेक्षित साक्ष्यों के अनुसार विचारोपरान्त उक्त ज्येष्ठता सूची में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नवत् संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :-

1- श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, प्रधान सहायक, प्रयागराज (ज्येष्ठता क्रमांक-1956)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 14-12-2001 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार नियुक्ति तिथि 11-12-2001 है। अतः नियुक्ति तिथि 11-12-2001 एवं जन्म तिथि 08-09-1975 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (1956) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-1939 एवं 1940 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-1939A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

2- श्री मुकेश कुमार शुक्ला, वरिष्ठ सहायक, प्रयागराज (ज्येष्ठता क्रमांक-2445)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 09-12-2004 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार नियुक्ति तिथि 08-12-2004 है। अतः नियुक्ति तिथि 08-12-2004 एवं जन्म तिथि 10-10-1976 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2445) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2443 एवं 2444 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2443A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

3- श्री शिवम प्रकाश, वरिष्ठ सहायक, प्रयागराज (ज्येष्ठता क्रमांक-2496)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 24-06-2006 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार नियुक्ति तिथि 24-02-2006 है। अतः नियुक्ति तिथि 24-02-2006 एवं जन्म तिथि 13-02-1982 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2496) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2484 एवं 2485 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2484A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

4- श्री प्रमोद शंकर, प्रशासनिक अधिकारी, बाराबंकी (ज्येष्ठता क्रमांक-1302)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की जन्मतिथि 01-07-1978 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार जन्मतिथि 01-07-1970 है। अतः नियुक्ति तिथि 11-06-1991 एवं जन्म तिथि 01-07-1970 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (1302) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-1300 एवं 1301 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-1300A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

5- श्री उपेन्द्र कुमार प्रजापति, प्रधान सहायक, झांसी (ज्येष्ठता क्रमांक-2147)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 05-05-2003 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार नियुक्ति तिथि 03-05-2003 है। अतः नियुक्ति तिथि 03-05-2003 एवं जन्म तिथि 01-01-1971 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2147) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2121 एवं 2121B के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2121A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व में मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5958 दिनांक 13-03-2019 द्वारा श्री राजीव कुमार तिवारी, प्रधान सहायक, झांसी की ज्येष्ठता क्रमांक-2121A पर अवस्थित की गयी है। श्री तिवारी की नियुक्ति तिथि 03-05-2003 तथा जन्मतिथि 05-02-1971 के अनुसार वह (प्रस्तावित ज्येष्ठता क्रमांक-2121A) श्री उपेन्द्र कुमार प्रजापति से कनिष्ठ कार्मिक है। अतः मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5958 दिनांक 13-03-2019 द्वारा श्री तिवारी की पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2121A) को संशोधित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2121A के पश्चात् ज्येष्ठता क्रमांक-2121B पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2157) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2141B एवं 2142 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2141C पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

14- श्री रफीक अहमद, प्रधान सहायक, झांसी (ज्येष्ठता क्रमांक-2152)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 05-05-2003 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार 03-05-2003 है। अतः नियुक्ति तिथि 03-05-2003 एवं जन्म तिथि 25-10-1975 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2152) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2126 एवं 2127 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2126A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

15- श्री शरद कुमार, वरिष्ठ सहायक, झांसी (ज्येष्ठता क्रमांक-2323)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 17-06-2003 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार नियुक्ति तिथि 16-06-2003 है। अतः नियुक्ति तिथि 16-06-2003 एवं जन्म तिथि 01-05-1976 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2323) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2314 एवं 2315 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2314A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

16- श्री अशोक कुमार राजपूत, वरिष्ठ सहायक, झांसी (ज्येष्ठता क्रमांक-2324)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 17-06-2003 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार नियुक्ति तिथि 16-06-2003 है। अतः नियुक्ति तिथि 16-06-2003 एवं जन्म तिथि 08-05-1976 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2324) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2314A एवं 2315 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2314B पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

पूर्व में मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5464 दिनांक 10-02-2020 द्वारा श्री दिनेश कुमार शाहू की ज्येष्ठता क्रमांक-2314A पर अवस्थित की गयी है। श्री शाहू नियुक्ति तिथि 16-06-2003 तथा जन्मतिथि 14-02-1980 के अनुसार उक्त दोनों कार्मिकों (प्रस्तावित ज्येष्ठता क्रमांक-2314A तथा प्रस्तावित ज्येष्ठता क्रमांक-2314B) श्री शरद कुमार तथा श्री अशोक कुमार राजपूत से कनिष्ठ कार्मिक है। अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या-5464 दिनांक 10-02-2020 द्वारा शाहू की पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2314A) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2314B एवं 2315 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2314C पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

17- श्री देवबालिका वर्मा, वरिष्ठ सहायक, झांसी (ज्येष्ठता क्रमांक-2327)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 17-06-2003 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार नियुक्ति तिथि 16-06-2003 है। अतः नियुक्ति तिथि 16-06-2003 एवं जन्म तिथि 08-08-1981 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (2327) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-2316 एवं 2317 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-2316A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

18- श्री बृजेश मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय (ज्येष्ठता क्रमांक-1300)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 11-06-1991 अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार नियुक्ति तिथि 10-06-1991 है। अतः नियुक्ति तिथि 10-06-1991 एवं जन्म तिथि 10-06-1961 के अनुसार उनकी पूर्व निर्धारित ज्येष्ठता (1300) को विलोपित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-1255 एवं 1256 के मध्य ज्येष्ठता क्रमांक-1255A पर अवस्थित किया जाना प्रस्तावित है।

19- श्री राजपाल सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, कानपुर (ज्येष्ठता क्रमांक-1274)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी का गृह जनपद कानपुर अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार गृह जनपद उन्नाव प्रमाणित है। अतः ज्येष्ठता सूची में गृह जनपद उन्नाव किया जाना प्रस्तावित है।

20- श्री परशुराम यादव, वाणिज्य कर अधिकारी, वाराणसी (ज्येष्ठता क्रमांक-962)

ज्येष्ठता सूची में कर्मचारी का गृह जनपद वाराणसी अंकित है परन्तु उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुसार गृह जनपद आजमगढ़ प्रमाणित है। अतः ज्येष्ठता सूची में गृह जनपद आजमगढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित ज्येष्ठता संशोधनों को अनिवार्य रूप से समस्त कार्मिकों को अवलोकित करा दिया जाय तथा यदि किसी अन्य कार्मिक की भी दिनांक 09-11-2015 को जारी ज्येष्ठता सूची में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना अपेक्षित है, तो उसके सम्बन्ध में सुसंगत साक्ष्यों (यथा-मौलिक नियुक्ति आदेश, सेवा पुस्तिका तथा हाई स्कूल प्रमाण पत्र) की प्रमाणित छायाप्रतियाँ विलम्बतम् दिनांक 18-11-2020 तक मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाये ताकि नियमानुसार प्रस्तावित ज्येष्ठता संशोधन के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक की ज्येष्ठता संशोधित / अवस्थित की जा सके ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09-11-2015 को ज्येष्ठता सूची जारी करने से पूर्व अनन्तिम् ज्येष्ठता सूची जारी करते हुये आपत्तियाँ आमन्त्रित की गयी थी, परन्तु दिनांक 09-11-2015 के पश्चात् भी उपरोक्त कार्मिकों के समान अन्य कार्मिकों द्वारा भी पूर्व में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी जिन्हें समय-समय पर निस्तारित करते हुये ज्येष्ठता संशोधन की कार्यवाही की गयी है । मुख्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्मिकों द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत न करना तथा मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए सत्यापित सेवा-विवरण नियत तिथि तक मुख्यालय को प्रेषित न किये जाने के फलस्वरूप इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रकाश में आती हैं, जिससे एक ओर राजकीय कार्य अनावश्यक रूप से बाधित होता है, साथ ही सम्बन्धित कार्मिकों को देय सेवा सम्बन्धी लाभ प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब भी होता है ।

अतः स्मरण रहे कि निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् यदि किसी कार्मिक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती है अथवा किसी अन्य कार्मिक की ज्येष्ठता त्रुटिपूर्ण निर्धारित पायी जाती है, तो ऐसी आपत्ति को स्वीकार करना सम्भव न होगा तथा उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी ।


(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित ।

- 1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- अपर निदेश, वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।
- 6- समस्त आहरण / वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ